"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2011—आश्विन 8, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री गंद सिंह धनंजय, भा.प्र.से. (1997) कलेक्टर, सरगुजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सोनमणी बोरा, भा.प्र.से. (1999) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011

श्री बोरा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भा.प्र.से. (2000) को प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002) संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002) पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

6. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, राज्य भंडार गृह निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

7. श्री आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2004) उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-09-2011 द्वारा श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002) उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-09-2011 द्वारा श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) को प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

3. श्री खलखो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ-20-2/2009/25/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियमावली, 2006 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर को आदिमजाति मंत्रणा परिषद् के सदस्य के पद पर मनोनीत करता है. मंत्रणा परिषद् के सदस्य का उक्त पद तत्कालीन माननीय सदस्य श्री बलीराम कश्यप सांसद बस्तर के निधन के कारण रिक्त था.

2. मनोनीत सदस्य का कार्यकाल मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 7-51/2011/स.क./26.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम 02 से 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 04 में निम्नानुसार सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	बोर्ड के सदस्य (4)
1	कांकेर	कांकेर	1. श्रीमती शालिनी राजपूत, कांकेर 2. श्री अविनाश नेगी, धमतरी

No. F 7-51/2011/S.W./26.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006 the State Government hereby notify following Social Workers as the Member of the Juvenile Justice Board in the column4 for the area shown in the column No. 2 to 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Name of the Member of the Board (4)
1	Kanker	Kanker	1. Smt. Shalini Rajput, Kanker 2. Shri Avinash Negi, Dhamtari

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक-एफ-7-53/2011/सक/26.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा 5 के विन्दु (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-स.क./2152, रायपुर दिनांक 26-09-2008 द्वारा नीचे दर्शाए अनुसार रायपुर जिले के किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सदस्य की नियुक्ति, एक वर्ष की बैठक में तीन-चौथाई से कम उपस्थिति होने के कारण, उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड (4)
1	रायपुर	रायपुर	श्रीमती सुमन गोस्वामी, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर
2	रायपुर	रायपुर	श्री सियाराम कहार, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर

No. F-7-53/2011/SW/26.—In exercise of the powers conferred by the point (iii) of sub-section 5 of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended in 2006, the State Government hereby terminates the appointment of the Member appointed through the Order No. F-1-S.W./2151, Raipur Dated 26-09-2008 of Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya Raipur in the Juvenile Justice Board of the following district due to attending less than three-fourth of the sittings in a year :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Member of the Juvenile Justice Board (4)
1	Raipur	Raipur	Smt. Suman Goswami, Member, Juvenile Justice Board, Raipur
2	Raipur	Raipur	Shri Siyaram Kahar, Member, Juvenile Justice Board, Raipur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2011/12.—ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियम, 1999 के नियम 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि नियम 12, नियम 17 के उपनियम (1), (4) तथा (5) और नियम 18 के उपनियम (2), (3) तथा (4) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2011/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक क्रमांक एफ 1-9/2011/12 दिनांक 03-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd September 2011

No. F 1-9/2011/12.—In exercise of the powers conferred by Rule 53 of the Granite Conservation and Development Rules, 1999, the State Government hereby directs that powers exercisable by it under rule 12, sub-rule (1), (4) and (5) of rule 17 and sub-rule (2), (3) and (4) of rule 18, shall also be exercisable by Joint Director (Mineral Administration), Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2011/12.—संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 के नियम 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि नियम 12 के उपनियम (1) तथा (2), नियम 17 के उप नियम (1-क), (4) तथा (5) और नियम 18 के उपनियम (2), (3) तथा (4) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2011/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक क्रमांक एफ 1-9/2011/12 दिनांक 03-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd September 2011

No. F 1-9/2011/12.—In exercise of the powers conferred by Rule 47 of the Marble Development and Conservation Rules, 2002, the State Government hereby directs that powers exercisable by it under sub rule (1), (2) of rule 12, sub rule (1-a), (4) and (5) of rule 17 and sub rule (2), (3) and (4) of rule 18, shall also be exercisable by Joint Director (Mineral Administration), Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2011

विषय :- खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम, 2004 में संशोधन एवं परिवर्धन प्रस्ताव.

क्रमांक एफ 7-5/2010/9.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-9/2011/9 खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक पत्र क्रमांक, दिनांक 19 सितम्बर, 2003 को जारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में समसंख्यक क्रमांक से दिनांक 18 जुलाई, 2006, 06 अगस्त, 2007 एवं 28 अगस्त 2008 से संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है. उक्त नियम में उल्लेखित "खेलविभूति सम्मान" वाक्यांश को "शहीद विनोद चौबे सम्मान" से प्रतिस्थापित कर समसंख्यक क्रमांक से संशोधन किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एम. मिंज, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 7-13/32/2008.—अधिसूचना क्रमांक 2066/एफ 7-13/32/2008 दिनांक 22-8-2009 में संशोधान करते हुये छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा तमनार क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो "तमनार विशेष क्षेत्र" के नाम से जाना जायेगा और उसकी संशोधित सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित किये गये अनुसार होगी :—

अनुसूची

तमनार विशेष क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम नुनदरहा, साल्हेपाली, चोटीगुडा, अजीजगढ़, बिछीनारा, कुधुरमौहा, तिलईपाली, पेलमा, उरबा, हिन्झर, सेमीजोर, छिरवानी, जांजगीर एवं नागरमुडा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम नागरमुडा, आमगांव, टांगरघाट, तिलाईपारा, बौराजोर, केशरचुवा, करपाली, हमीरपुर, कुंशमेल, चाकाबहाल, जामपाली, बरकंझार, केनानीबहाल, कर्मागढ़, बंगुरसिहा, चक्रधरपुर एवं धुमाबहाल ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सम्बलपुरी, बरलिया, दनोट, लाखा, चिराईपाली, पाली, देलारी, सराईपाली, भुई कुर्री, बगबुडा, जामचुआ, जेबरो, ठरकपुर, डोरआमा, गदगांव, हर्रीडीह, राबो, आमापाली, बगचवा एवं पानीखेत की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पानीखेत, चारमार, डगनीनारा, टेंडा, छोटे गुमडा, बड़े गुमडा, बैहामुडा, मेंढरा, नवागाव, रेंगालवहरी, बनई एवं नुनदरहा की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्रमांक/2604/571/2004/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 संशोधन 1996 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत सीपत विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 (क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पद का नाम	संस्था का पता
(1)	(2)	(3)
(क)	अध्यक्ष	कलेक्टर, जिला बिलासपुर
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत बिलासपुर
(ग)	सांसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र बिलासपुर
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र बेलतरा, बिलासपुर
	विधायक	विधान सभा क्षेत्र मस्तुरी, बिलासपुर
(ड)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, मस्तुरी, जिला बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत सीपत जिला बिलासपुर
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत कौवाताल
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत झलमला
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत नरगोड़ा
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत ठरकपुर
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत गुड़ी
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत हिंडाडीह
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत हिन्डाडीह कर्रा
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत दवनडीह .
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत दवपडीह दर्राभाठा
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत कौड़िया
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत देवरी
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत जांजी
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत पंधी
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत पंधी, खजुरी
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत मटियारी
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत मोहरा
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत बरेली
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत रॉक
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत सेलर
	21. सरपंच	ग्राम पंचायत रलिया
	22. सरपंच	ग्राम पंचायत गतौरा
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत परसाही
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर.
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर
	4. प्रतिनिधि	जिलाध्यक्ष जिला जांजगीर-चांपा
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक/2638/571/2004/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 संशोधन 1996 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत सक्ती विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 (क) (2) में

उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पद का नाम	संस्था का पता
(1)	(2)	(3)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद् सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत जिला जांजगीर-चांपा
(ग)	सांसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र सक्ती, जांजगीर-चांपा
(ड)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सक्ती, जांजगीर-चांपा
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत तेन्दूतोहा, जांजगीर-चांपा
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत राजगा
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत पतेरापाली
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत बोरदा, कंचनपुर
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत नन्देली
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत नन्देली, बोईरडीह
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत सोठी
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत नवापारा
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत पोरथा
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत हरेठी, सिपाहीमुड़ा
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत हरेठी
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत बोरदा
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत डोड़की बगबुड़वा
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर
	4. प्रतिनिधि	जिलाध्यक्ष, जिला जांजगीर-चांपा
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर.
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर
	4. प्रतिनिधि	जिलाध्यक्ष जिला जांजगीर चांपा
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक/3614/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/4034/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 21-10-2010 द्वारा कई मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही संपन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी की गयी है.

राज्य शासन की राय है कि मण्डी अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है, मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे पूरा करने में समय लगना अवश्यंभावी है, जिसके कारण मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन लगभग आगामी 06 माह तक कराया जाना संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचनों को आगामी 06 माह की अवधि के लिये मुल्तवी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41, 42 सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 4 के उप-नियम (ख) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) के सरल क्रमांक (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(नौ) बांस-07 जिलों में— (1) सरगुजा (2) जशपुर (3) जांजगीर-चांपा (4) कोरबा (5) धमतरी (6) कवर्धा एवं (7) महासमुंद."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2 दिनांक 12-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 12th September 2011

No. F 8-20/2008/10-2.—In exercise of the powers conferred by sections 41, 42 read with section 76 of Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After the number (viii) of sub-clause (a) of clause (2) of sub-rule (B) of rule 4, the following serial number shall be inserted, namely :—

"(ix) Bamboo — In 07 Districts— (1) Sarguja (2) Jashpur (3) Janjgir-Champa (4) Korba (5) Dhamtari (6) Kawardha and (7) Mahasamund."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/10-2.—जंगली हाथियों को उपयुक्त प्राकृतवास उपलब्ध कराने, हाथी-मानव द्वंद कम करने तथा बेहतर वन्य प्राणी प्रबंधन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार सरगुजा-जशपुर हाथी रिज़र्व घोषित करता है :—

अनुसूची

जिला	—	सरगुजा, जशपुर
वनमंडल	—	उत्तर सरगुजा/पूर्वी सरगुजा/जशपुर
तहसील	—	सूरजपुर, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, पाल एवं बगीचा
परिक्षेत्र	—	तमोरपिंगला गेमरेंज, बलरामपुर, प्रतापपुर एवं बादलखोल
हाथी रिजर्व का नाम	—	सरगुजा-जशपुर हाथी रिजर्व
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	—	114334.28 हे.

क्र.	जिला	वनमंडल	सम्मिलित क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सरगुजा	उत्तर सरगुजा	तमोर पिंगला अभ्यारण्य	60852.73	यथा पूर्ववर्ती म.प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-18-77-दस (3) दिनांक 20-02-1978 द्वारा अधिसूचित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सरगुजा	पूर्वी सरगुजा	सेमरसोत अभ्यारण्य	43036.12	यथा पूर्ववर्ती म.प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-18-77-दस (3) दिनांक 20-02-1978 द्वारा अधिसूचित.
3.	जशपुर	जशपुर	बादलखोल अभ्यारण्य	10445.43	यथा पूर्ववर्ती म.प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3919-2978-दस-2-75 दिनांक 28-08-1975 द्वारा अधिसूचित.
			योग	**114334.28**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-6/2007/10-2 दिनांक 15-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 15th September 2011

No. F 8-6/2007/10-2.—In view to provide suitable habitat for Wild Elephants, mitigate Human-Elephant conflict and with the objective of better wild life management practices, the Government of Chhattisgarh hereby declares Sarguja-Jashpur Elephant Reserve as specified in the following Schedule :—

SCHEDULE

District	—	Sarguja-Jashpur
Forest Division	—	North Sarguja/East Sarguja/Jashpur
Tehsil	—	Surajpur, Pratappur, Wadrafnagar, Pal & Bagicha
Forest Range	—	Tamorpingla Gamerange, Balrampur, Pratappur & Badalkhol
Name of the Elephant Reserve	—	Sarguja-Jashpur Elephant Reserve
Area (In Hectare)	—	114334.28 Ha.

S. No.	District	Division	Units Included	Area (In Ha.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Surguja	North Surguja	Tamorpingla Sanctuary	60852.73	As notified vide erstwhile State of Madhya Pradesh Government, Forest Department notification No. F-15-18-77-X (3) dt. 20-02-1978.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Surguja	East Surguja	Semarsot Sanctuary	43036.12	As notified vide erstwhile State of Madhya Pradesh Government, Forest Department notification No. F-15-18-77-X (3) dt. 20-02-1978.
3.	Jashpur	Jashpur	Badalkhol Sanctuary	10445.43	As notified vide erstwhile State of Madhya Pradesh Government, Forest Department notification No. 3919-2978-X (2)-75 dt. 28-08-1975.
			Total	**114334.28**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक 4714/तक 755/परि. वि./2011.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 एवं धारा 111 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में.—

1. नियम 47 के खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "रुपये 50" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 200" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 47 के खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "रुपये 100" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 300" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 63 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

1. एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा.

2. प्राधिकरण के संयुक्त परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त सचिव, उप परिवहन आयुक्त, उप सचिव एवं सहायक परिवहन आयुक्त, सहायक सचिव होंगे और उनको अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा कार्यों का समनुदेशन किया जाएगा."

4. नियम 184 के उप-नियम (3) के खण्ड (1) में, शब्द तथा अंक "रुपये 1,000.00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 3,000.00" **प्रतिस्थापित किया जाए.**

5. **नियम 184 के उप-नियम (3) के खण्ड (2) में, शब्द तथा अंक "रुपये 1500.00" के स्थान पर शब्द तथा** अंक **"रुपये 5,000.00"** प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 5-2/आठ/परि./2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग के आदेश क्रमांक 4714/तक 755/परि. वि./2011 दिनांक 18-8-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

Raipur, the 18th August 2011

No. 4714/tak 755/Tran depot/2011.—In exercise of the power conferred by Section 65, 96 and Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In clause (a) of Rule 47, for the words and figure "Rs. 50/-" the words and figure "Rs. 200/-" shall be substituted.

2. In clause (b) of Rule 47, for the words and figure "Rs. 100/-" the words and figure "Rs. 300/-" shall be substituted.

3. For sub-rule (1) of Rule 63, the following sub-rule shall be substituted, namely :—
   "(1) The State Transport Authority shall have the following official for the smooth functioning :—
      (i) Additional Transport Commissioner shall be the Ex-Officio Secretary of the State Transport Authority.
      (ii) Joint Transport Commissioner shall be the Additional Secretary, Deputy Transport Commissioner shall be the Deputy Secretary and Assistant Transport Commissioner shall be the Assistant Secretary to the Authority and work shall be assigned to them by the Chairman, State Transport Authority from time to time by an order."

4. In clause (1) of sub-rule (3) of Rule 184, for the words and figure "Rs. 1000.00/-" the words and figure "Rs. 3000.00/-" shall by substituted

5. **In clause (2) of sub-rule (3) of Rule 184, for the words and figure "Rs. 1500.00/-" the words and figure "Rs. 5000.00/-" shall by substituted.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. MARAVI, Secretary.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 3–97/राजस्व–2/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन–सामग्री तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**–
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्तियाँ सौपी गई हों या इसके पश्चात् सौंपी जाएं;

   (ख) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (घ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना कमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ङ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

   (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

   (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थातः—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु, शासन, समय—समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट के आधार पर चयन एवं साक्षात्कार द्वारा;

(ख) अनुसूची—4 में दर्शाए गये सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जैसा कि इस निमित्त शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल रूप से धारण करते हों।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप—नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी छ. ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात्, उप—नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जा सकेंगे। तथापि, विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जानी चाहिए, जो इन मापदंडों से अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.**— परीक्षा/चयन में स्पर्धा हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(एक) आयु—

(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और अनुसूची–तीन के कॉलम (4) एवं (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

टीप.— शासकीय सेवा में एक या अधिक कारणों से छूट देने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा 45 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, निम्नलिखित सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल की जायेगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छटनी किये गये सरकारी सेवक" हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी/स्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संगठक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हों, उन्हें अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्त रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतवूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें:–

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूरी हो जांने पर सेवामुक्त किए गए हैं;

(पॉच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर लगातार छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु अधिकतम सीमा 5 (पॉच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों की दशा में, उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी:-

(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, नियक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गयी हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ट) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्तानुसार, उल्लिखित वर्गों में से किसी भी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 (पैंतालिस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं:- अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शायी गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए।

(तीन) फीस:- अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.-** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे लिखित परीक्षा/चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा.-** परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, साक्षात्कार हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न किया हो।

11. (1) **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.— प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती—** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य होंगे;

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से आयोजित की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर शासन के परामर्श से अवधारित करे।

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती.—**

(क) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे;

(ख) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा; तथा

(ग) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उसके नाम नियम (12) में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रकम पर, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मा[illegible]नों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ काला[illegible] अनुभव [illegible]वश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी की राय [illegible] यह पा[illegible] जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थि[illegible] के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसू[illegible] जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव [illegible] शर्त को शिथिल [illegible]।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित होंगे।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे, तैयार करेगी तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर, अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची—चार में वर्णित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामांकित सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उसी प्रास्थिति के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य पदोन्नति/चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा तथा पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर करने के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से की जायेगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(4) आरक्षित रिक्तयों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया उप—नियम (2) में उल्लेखित नियमों एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता की शर्तें.—**

(1) उप—नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल

रूप में) जैसा कि अनुसूची–4 के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं, से कम न हो, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरणः– पदोन्नति के लिए पात्रता की संगणना की रीति–वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने के तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.–**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तयों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड वरिष्ठता सह–उपयुक्तता (सीनियॉरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–4 के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरणः– व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.–**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गयी सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में अंतर्विष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची की विधिमान्यता उस कैलेण्डर वर्ष की तारीख से एक वर्ष तक होगी जिसमें उसे तैयार किया गया है.

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा **पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के** अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से उस व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17 **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**–

(1) चयन सूची में सम्मलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक की चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परीवीक्षा.**– सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त/पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्षों की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**–यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, उप–सचिव.

अनुसूची –एक
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम– शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

स. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुख्य परीक्षक/संपादक	01	तकनीकी	9300–34800	4200
2	ओव्हरसियर/तकनीकी अधिकारी	04	–तदैव–	9300–34800	4200
3	सेक्शन होल्डर / उप–तकनीकी अधिकारी	07	–तदैव–	5200–20200	2400
4	वरिष्ठ डी.टी.पी. आपरेटर	01	–तदैव–	9300–34800	4200
5	डी.टी.पी. आपरेटर	14	–तदैव–	5200–20200	2800
6	कलर स्केनर आपरेटर	05	–तदैव–	5200–20200	2800
7	मल्टीकलर प्रिंटिंग आपरेटर	02	–तदैव–	5200–20200	2800
8	सीनियर रीडर/उप–संपादक	04	–तदैव–	5200–20200	2400
9	जूनियर रीडर	08	–तदैव–	5200–20200	2400
10	रीवाइजर	03	–तदैव–	5200–20200	2400
11	कैमरा मेन	01	–तदैव–	5200–20200	2400
12	सहायक सेक्शन होल्डर	07	–तदैव–	5200–20200	2400
13	ग्राफिक आर्ट डिजाइनर	01	–तदैव–	5200–20200	2400
14	वेब आफसेट आपरेटर	05	–तदैव–	5200–20200	2400
15	वेब ग्राफिक आर्ट डिजाईनर	01	–तदैव–	9300–34800	4200
16	सब इंजीनियर/इलेक्ट्रीकल/मेकेनिकल	02	–तदैव–	9300–34800	4200
17	मेकेनिक	02	–तदैव–	5200–20200	2400
18	मेकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन	02	–तदैव–	5200–20200	2400
19	इलेक्ट्रीशियन	02	–तदैव–	5200–20200	2400
20	फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर	06	–तदैव–	5200–20200	1900
21	सिंगल कलर शीटफेड आपरेटर	02	–तदैव–	5200–20200	1900
22	सहायक वेब आफसेट आपरेटर	09	–तदैव–	5200–20200	1900
23	कापी होल्डर	07	–तदैव–	5200–20200	1900
24	रिटचर/पेस्टर/ट्रेसर	02	–तदैव–	5200–20200	1900
25	वरिष्ठ प्लेट मेकर	01	–तदैव–	5200–20200	1900
26	प्लेट मेकर	02	–तदैव–	5200–20200	1900
27	ग्रेनिंग मशीन आपरेटर	02	–तदैव–	5200–20200	1900
28	वरिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	08	–तदैव–	5200–20200	1900
29	कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	06	–तदैव–	5200–20200	1900
30	सीनियर बाईन्डर	16	–तदैव–	5200–20200	1900
31	जूनियर बाईन्डर	32	–तदैव–	5200–20200	1900
32	कारपेंटर	01	–तदैव–	5200–20200	1900
33	विद्युत परिसारक (सहायक)	02	–तदैव–	5200–20200	2400
34	वाहन चालक	06	–तदैव–	5200–20200	1900

अनुसूची –दो
(नियम 3 देखिए)

विभाग का नाम– शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

सरल कमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
			चयन करके सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल/स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	श्रेणी तीन (अलिपिक वर्गीय) मुद्रण तथा लेखन सामग्री			
1	मुख्य परीक्षक/संपादक	01	–	100%
2	ओव्हरसियर/तकनीकी अधिकारी	04	50%	50%
3	सेक्शन होल्डर / उप–तकनीकी अधिकारी	07	25%	75%
4	वरिष्ठ डी.टी.पी. आपरेटर	01	–	100%
5	डी.टी.पी. आपरेटर	14	75%	25%
6	कलर स्केनर आपरेटर	05	100%	–
7	मल्टीकलर प्रिंटिंग आपरेटर	02	100%	–
8	सीनियर रीडर/उप–संपादक	04	–	100%
9	जूनियर रीडर	08	25%	75%
10	रीवाइजर	05	–	100%
11	कैमरा मेन	01	–	100%
12	सहायक सेक्शन होल्डर	07	25%	75%
13	ग्राफिक आर्ट डिजाइनर	01	100%	–
14	वेब आफसेट आपरेटर	05	–	100%
15	वेब ग्राफिक आर्ट डिजाईनर	01	100%	–
16	सब इंजीनियर/इलेक्ट्रीकल/मेकेनिकल	02	–	प्रतिनियुक्ति से
17	मेकेनिक	02	100%	–
18	मेकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन	02	100%	–
19	इलेक्ट्रीशियन	02	100%	–
20	फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर	06	100%	–
21	सिंगल कलर शीटफेड आपरेटर	02	100%	–
22	सहायक वेब आफसेट आपरेटर	09	–	100%
23	कापी होल्डर	07	50%	50%
24	रिटचर/पेस्टर/ट्रेसर	02	100%	–
25	वरिष्ठ प्लेट मेकर	01	–	100%
26	प्लेट मेकर	02	50%	50%
27	ग्रेनिंग मशीन आपरेटर	02	50%	50%
28	वरिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	08	–	100%
29	कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	06	25%	75%
30	सीनियर बाईन्डर	16	–	100%
31	जूनियर बाईन्डर	32	25%	75%
32	कारपेंटर	01	100%	–
33	विद्युत परिसारक (सहायक)	02	100%	–
34	वाहन चालक	06	100%	–

अनुसूची–तीन
(नियम 9 देखिए)
विभाग का नाम– शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
तृतीय श्रेणी– अलिपिक वर्गीय

स. कमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु		भर्ती का तरीका	अर्हताएं	टिप्पणियॉ
			छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी	अन्य			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मुख्य परीक्षक / संपादक	–	35 वर्ष	30 वर्ष	ये पद जिन वरिष्ठ वाचकों ने विभाग में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, उनका चयन कर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे बशर्ते वे कालम कमांक (7) में दी हुई अर्हतायें रखते हों । पदोन्नति 100 प्रतिशत	(एक) स्नातक होना चाहिए (दो) कापी फिटिंग, पाण्डुलिपि, सम्पादन विभिन्न प्रकार के फेसेज तथा आकार आदि की जानकारी होनी चाहिए । ले–आउट तैयार करना और प्रदर्शन तथा विन्यास के सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिए। (तीन) प्रुफ वाचन का 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।	
2	ओव्हारसियर / तकनीकी अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	ऐसे सेक्शन होल्डर, सीनियर डी. टी.पी. आपरेटर एवं प्रेस के अन्य प्रभाग के कर्मचारी जो उस पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । मुद्रण प्रौद्योगिकी में पत्रोपाधि प्राप्त कर्मचारियों के लिए दो वर्ष का परोक्ष अथवा अपरोक्ष सुपरवाईजरी का अनुभव पर्याप्त होगा। पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी । पदोन्नति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत	(एक) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (दो) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रिंटिंग टेक्नालॉजी में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए तथा किसी मुद्रणालय में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से मुद्रण प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में कार्य निष्पादित करवाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (तीन) मुद्रणालय की सभी शाखाओं जैसे डी.टी.पी. कम्पोजिंग, प्रोसेसिंग, मुद्रण की जानकारी होनी चाहिए।	

3	सेक्शन होल्डर / उप–तकनीकी अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	जिन सहायक सेक्शन होल्डरों को उस पद पर कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे । यदि किसी सहायक सेक्शन होल्डर के पास मुद्रण प्रौद्योगिकी का प्रमाण पत्र हो तो उस कार्य का 2 वर्ष का अनुभव पर्याप्त होगा । ऐसे प्रकरणों में प्रेस के कर्मचारी जिनके पास मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है, के लिए उक्त पद पर 3 वर्ष का अनुभव पदोन्नति हेतु स्वीकार्य होगा । पदोन्नति 25 प्रतिशत सीधी भर्ती 75 प्रतिशत	(एक) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (दो) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्यागिकी में डिप्लोमा होना चाहिए या किसी मुद्रणालय में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से मुद्रण प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में कार्य निष्पादित करवाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । (तीन) मुद्रणालय की सभी शाखाओं जैसे डी.टी.पी., कम्पोजिंग, प्रोसेसिंग, आफसेट मुद्रण, तथा बाईनडिंग का ज्ञान होना चाहिए । या (एक) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (दो) आफसेट मुद्रणालय में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से मुद्रण प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में कार्य निष्पादित करवाने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।	
4	वरिष्ठ डी.टी.पी. आपरेटर	–	–	–	जिन डी.टी.पी. चालकों ने उस पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे पदोन्नति 100 प्रतिशत	–	
5	डी.टी.पी. आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	जो विभागीय अभ्यर्थी कालम (7) में दी गई योग्यताएं पूरी करते हों उनकी, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगें । पदोन्नति – 25 प्रतिशत सीधी भर्ती – 75 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए । (दो) हिन्दी एवं अंग्रेजी के की–बोर्ड पर कार्य करने में दक्षता होनी चाहिए। (तीन) आठ घंटे में टेबुलर मेटर के ए–4 साईज के 10पेज एवं सॉलिड रनिंग मेटर के 20 पेज कम्पोज करने की क्षमता होनी चाहिए ।	

						(चार) पेज मेकर, फोटोशॉप, एम.एस.वर्ल्ड पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए । (पांच) डी.टी.पी. आपरेटर का कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	
6	कलर स्केनर आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती–100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए । (दो) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए तथा बड़े प्रोसेसिंग हाउस का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (तीन) किसी आधुनिक मुद्रण प्रोसेसिंग हाउस में कलर सेप्रेशन, कलर प्रुफिंग ले–आउट, प्लालिंग इत्यादि का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए । **या** (एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए । (दो) किसी आधुनिक मुद्रण प्रोसेसिंग हाउस में कलर सेप्रेशन, कलर प्रुफिंग ले–आउट, प्लानिंग इत्यादि का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
7	मल्टीकलर प्रिंटिंग मशीन आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती– 100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए । (दो) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए । (तीन) विभिन्न प्रकार के मल्टी कलर शीड फेड/वेब प्रिंटिंग मशीन पर	

						कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव। या (एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए । किसी बड़े आफसेट प्रेस में विभिन्न प्रकार के मल्टी कलर शीट फेड/वेब प्रिंटिंग मशीन पर कार्य करने का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।	
8	सीनियर रीडर/ उप–संपादक	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	कनिष्ठ वाचक तथा पुनरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। पदोन्नति– 100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए । (दो) हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, टाइप फेसेज तथा पुस्तक विन्यास से परिचित होना चाहिए। (तीन) प्रुफ वाचक के कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।	
9	जूनियर रीडर	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	कापी होल्डर्स की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे । पदोन्नति– 75 प्रतिशत सीधी भर्ती –25 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (दो) प्रुफ वाचक के कार्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तथा हिन्दी और अंग्रेजी में प्रुफ पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। (तीन) टाइप फेसेज तथा आकारों की जानकारी होनी चाहिए । (चार) प्रुफ वाचक का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।	
10	रीवाइजर	—	—	—	उपरोक्तानुसार पदोन्नति–100 प्रतिशत	उपरोक्तानुसार	
11	कैमरा मैन	—	—	—	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती –100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होनी चाहिए, (दो) प्रिंटिंग टेक्नालॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए । (तीन) सभी प्रकार के प्रोसेस कैमरा के	

					रख–रखाव और चालन करने की योग्यता होना चाहिए । (चार) श्वेत श्याम तथा रंगीन फिल्म को एक्सपोज करने एवं डेवलप करने का पूर्ण व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। ओरिजनल आर्ट वर्क से कलर सेप्रेशन करने की योग्यता होनी चाहिए । प्रकाशिका एवं पारदर्शिता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । (पांच) इस कार्य क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। **अथवा** (एक) हायर सेकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (दो) किसी बड़े प्रोसेसिंग हाउस में विभिन्न प्रकार के कैमरा संचालन का ज्ञान होना चाहिए । (तीन) श्वेत श्याम एवं रंगीन फिल्म को एक्सपोज एवं डेवलप करने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। (चार) उपरोक्त कार्यो का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
12	सहायक सेक्शन होल्डर	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	सीनियर सिंगल कलर आपरेटर, सीनियर प्लेट मेंकर, सीनियर बाईन्डर, रिटेचर/पेस्टर/ट्रेसर आदि जिन्हे संबंधित अनुभाग का 5 वर्ष का अनुभव हो तथा जिन्होंने कम से कम 8 वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। ये पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे । पदोन्नति– 75 प्रतिशत सीधी भर्ती– 25 प्रतिशत	(एक)उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (दो) किसी भी मुद्रण संस्था में मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी बड़े मुद्रणालय में पर्यवेक्षी का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । **या**	

						(एक) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) पॉच वर्ष का किसी आफसेट प्रेस में सुपरवाईजरी का अनुभव होना चाहिए । (तीन)विभिन्न शाखा के कार्य की जानकारी आवश्यक है ।	
13	ग्रेफिक आर्ट डिजाईनर	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती– 100 प्रतिशत	(एक)हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) फाईन आर्ट में डिग्री तथा डिप्लोमा होना चाहिए । (तीन) कोरल ड्रा, पेजमेकर एवं फोटोशॉप का प्रायोगिक ज्ञान आवश्यक होगा। (चार) किसी बड़ी प्रकाशन संस्था में जिसमें विभिन्न प्रकार के बहुरंगी कार्य किये जाते हैं, में हाथ से अथवा कम्प्यूटर से डिजाईन बनाने का 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा ।	
14	वेब आफसेट आपरेटर	–	–	–	ऐसे वरिष्ठ सिंगल कलर आपरेटर, सहायक वेब आपरेटरों की पदोन्नति से भरे जाएंगे । जिन्होने उस पद पर 5 वर्ष की सेवा की हो । पदोन्नति– 100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) विभिन्न प्रकार के वेब मशीनों के संचालन का किसी बड़े प्रेस का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।	
15	वेब ग्राफिक आर्ट डिजाइनर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती– 100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) किसी मान्यता प्राप्त डिजाइनिंग संस्था से डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। (तीन) किसी बड़ी प्रकाशन संस्थान, विज्ञापन एजेंसी इत्यादि में साफ्टवेयर जैसे– कोरल ड्रा, फोटोशाप, एडोब एक्रोबेट तथा डिजाइन पैकेज तैयार करने का तीन वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए ।	

16	सब इंजीनियर इलेक्ट्रीकल एवं मेकनिकल	—	—	—	पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे ।		
17	मेकेनिक	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे । सीधी भर्ती— 100 प्रतिशत	(एक)हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) किसी मान्य संस्था से मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में पत्रोपाधि प्राप्त होना चाहिए । (तीन) सभी प्रकार के मुद्रण एवं बाईडिंग मशीनों को सुधारने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । **या** (1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) प्रिंटिंग प्रेस में मिस्त्री के रूप में 5 वर्ष का मुद्रण/बाईडिंग मशीन सुधारने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
18	मैकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती— 100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/आई.टी.आई. से मशीनिष्ट/विद्युत ट्रेड उत्तीर्ण होना चाहिए । (तीन) किसी मुद्रणालय में मिस्त्री के रूप में मुद्रण मशीनों को सुधार करने का पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	
19	इलेक्ट्रीशियन	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती— 100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनिरिंग में पत्रोपाधि प्राप्त हो। (तीन) सभी मुद्रण एवं बांईडिंग मशीनों के रख रखाव का अनुभव होना चाहिए। ए.सी. ट्रांसमीटर वाला बिजली घर संभालने योग्य होना चाहिए । (चार) बिजली मिस्त्री के पद पर 3 वर्ष का किसी मुद्रणालय में व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	

20	सिंगल कलर शीट फेड आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती–100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (दो) किसी अत्याधुनिक ख्याति प्राप्त प्रेस से मुद्रण संबंधी विभिन्न प्रकार के आफसेट मशीन संचालन का तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
21	फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती–100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (दो) विभिन्न प्रकार की डिजिटल मशीनों का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
22	सहायक वेब आफसेट आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर के पद धारित करने वाले ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे जिन्हें अपने पद पर 05 वर्ष का कार्य अनुभव हो तथा जो वेब आफसेट मशीन की जानकारी रखते हों । पदोन्नति –100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (दो) वेब आफसेट मशीन का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए । (तीन) आफसेट मशीन में कार्य करते समय उपयोग में केमिकल्स की जानकारी होना चाहिए ।	
23	कापी होल्डर	—	—	—	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय अभ्यार्थियों के चयन द्वारा भरे जाएंगे। पदोन्नति–50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों का ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए।	
24	रिटचर/पेस्टर/ट्रेसर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा । सीधी भर्ती– 100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (दो) ड्राइंग इलेमेन्ट्री तथा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (तीन) किसी आफसेट मुद्रणालय में रेटचर/ट्रेसर/पेस्टर का कार्य करने का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।	

25	वरिष्ठ प्लेट मेकर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	प्लेट मेकर की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जो उस पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, किन्तु वे कालम कमांक (7) में विहित अर्हता रखते हों। पदोन्नति–100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । विभिन्न प्रकार की प्लेट्स जैसे सरफेस, पी.एस., वाईप–आन, पी.एस. प्लेट्स में लगने वाले केमिकल्स इनके उपयोग एवं इन प्लेट्स को बनाने में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए।	
26	प्लेट मेकर	–	–	–	मुद्रणालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे किन्तु वे कालम क्र. (7) में विहित अर्हताएं रखते हों । पदोन्नति– 50 प्रतिशत सीधी भर्ती –50 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्लेट मेकिंग कक्ष में कार्य करने के अनुभव के साथ विभिन्न प्रकार की प्लेट बनाने की क्षमता होनी चाहिए तथा प्लेट मेकिंग कक्ष में उपयोग में आने वाले केमिकल्स के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए ।	
27	ग्रेनिंग मशीन आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	मुद्रणालय में कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्हे 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो तथा जिन्हे ग्रेनिंग मशीन चलाने का ज्ञान हो, की पदोन्नति से भरे जाऐंगे बशर्ते कालम क्र.–(7) में विहित अर्हताएं रखते हो। पदोन्नति– 50 प्रतिशत सीधी भर्ती –50 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) ग्रेनिंग मशीन के संचालन का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	
28	वरिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर जिन्हें उस पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो, की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे बशर्ते की स्तंभ क्रं. (7) में उल्लेखित योग्यता रखते हों । पदोन्नति –75 प्रतिशत सीधी भर्ती– 25 प्रतिशत	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) आफसेट मशीन के विभिन्न भागों के कलपुर्जों तथा उनके समन्जन का ज्ञान होना चाहिए। आफसेट मशीन संचालन का पांच वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए ।	

						(तीन)सही रजिस्ट्रेशन के साथ बहुरंगी मुद्रण कार्य करने की योग्यता के साथ विभिन्न रंग की स्याहियों से सेकण्डरी एवं नरशरी कलऱ बनाने का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।	
29	कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	विभागीय चतुर्थ श्रेणी के इंकर और अन्य निम्न कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जो उस पद पर 5 वर्ष का अनुभव रखते हों बशर्ते वे स्तंभ कमांक – (7) में उल्लेखित अर्हताएं रखते हों । पदोन्नति –75 प्रति ात सीधी भर्ती– 25 प्रति ात	(एक) हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) विभिन्न आकार एवं प्रकार की आफसेट मशीनों के संचालन की योग्यता होनी चाहिए । (तीन) तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
30	सीनियर बाईण्डर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	जुरियर बाईन्डर की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। पदोन्नति –100 प्रतिशत	(एक) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) प्रथम श्रेणी का जिल्दसाज होना चाहिए और जिल्दसाजी संबंधी सभी कार्यो और जिल्दसाजी और ग्रीडिंग के तरीकों का पूर्ण व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। उचित आकार और हाशिए संबंधी जानकारी भी आवश्यक है । (तीन) जिल्दसाजी का कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।	
31	जूनियर बाइण्डर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	सहायकों, पेस्टर ब्वाय तथा अन्य, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे बशर्ते कि वे 5 वर्ष का अनुभव रखते हो, तथ स्तंभ क. (7) में उल्लेखित अर्हताएं रखते हों। पदोन्नति 75 प्रतिशत सीधी भर्ती–25 प्रतिशत	(एक) आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) सभी प्रकार के बाईडिंग कार्य का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	

32	कारपेन्टर	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	चयन पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। सीधी भर्ती –100 प्रतिशत	(एक) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) आई. टी. आई. से कारपेंट्री ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए । (तीन) विभिन्न प्रकार के प्रेस के उपयोग में आने वाले फर्नीचर के निर्माण की जानकारी होनी चाहिए । **या** (एक) आठवीं पास होना चाहिए तथा कारपेंट्री कार्य का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
33	विद्युत परिसारक	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पद सीधी भर्ती से स्तंभ कमांक (7) में विहित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती –100 प्रतिशत	(एक) आई.टी.आई. से विद्युत यांत्रिकी ट्रेड में प्रमाण–पत्र प्राप्त होना चाहिए । (दो) सभी मोटरों तथा बिजली के उपकरणों के रख–रखाव तथा आर्मिचर क्वाईल बाइडिंग की जानकारी हो । (तीन) ट्रांसफार्मर पावर हाऊस के रख–रखाव की योग्यता हो। उक्त कार्यों का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो ।	
34	वाहन चालक	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	सीधी भर्ती– 100 प्रतिशत	(एक) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) मोटर ड्राइविंग का लायसेंस हो।	

अनुसूची–चार
(नियम 13 देखिए)

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है ।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है ।	कालम (2) में उल्लेखित पद पर कार्यानुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम, सभी पदों के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वरिष्ठ वाचक	मुख्य परीक्षक / संपादक	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (2) संयुक्त संचालक / उप संचालक शासकीय मुद्रणालय (3) सहायक संचालक, शासकीय प्रेस (वरिष्ठतम)
2	(1) सेक्शन होल्डर (2) अन्य प्रभाग के डिप्लोमा होल्डर कर्मचारी, जिन्हें 05 वर्ष का अनुभव हो ।	ओव्हरसियर / तकनीकी अधिकारी	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
3	(1) सहायक सेक्शन होल्डर	सेक्शन होल्डर / उप–तकनीकी अधिकारी	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
4	डी.टी.पी. आपरेटर	वरिष्ठ डी.टी.पी. आपरेटर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
5	कनिष्ठ वाचक / पुनरीक्षक	वरिष्ठ वाचक	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	कापी होल्डर	जूनियर रीडर / रीवाइजर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
7	(1) सीनियर सिंगल कलर आपरेटर (2) सीनियर प्लेट मेकर (3) सीनियर बाईण्डर (4) रिटचर / पेस्टर / ट्रेसर	सहायक सेक्शन होल्डर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	(1) वरिष्ठ सिंगल कलर आपरेटर (2) सहायक वेब आपरेटर (3) फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर (4) सिंगल कलर शीटफेड आपरेटर	वेब आफसेट आपरेटर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
9	सिंगल कलर मशीन आपरेटर	सहायक वेब आफसेट आपरेटर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
10	मुद्रणालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कापी होल्डर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
11	प्लेट मेकर	वरिष्ठ प्लेट मेकर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
12	मुद्रणालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्लेट मेकर / ग्रेनिंग मशीन आपरेटर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
13	कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	वरिष्ठ सिंगल कलर आपरेटर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
14	मुद्रणालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कनिष्ठ सिंगल कलर आपरेटर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
15	जूनियर बाइण्डर	सीनियर बाइण्डर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
16	मुद्रणालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जूनियर बाइण्डर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार

Raipur, the 3rd September 2011

No. F 3-97/राजस्व–2/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Printing and Stationery Class-III (Non-Ministerial) Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Printing and Stationery Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2011.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) **"Appointing Authority"** in respect of a service means such authority to whom the Government has conferred the powers to appointment to the service or may be conferred later;
   (b) **"Selection Committee"** means Selection Committee that will be constituted by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules;
   (c) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;
   (d) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;
   (e) **"Schedule"** means the Schedule appended to these Rules;
   (f) **"State"** means the State of Chhattisgarh;
   (g) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (h) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (i) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
   (j) **"Service"** means the Chhattisgarh Printing and Stationery Class-III (Non-Ministerial) Service.

3. **Scope and application.-**(1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.-** Services shall consist of the following persons, namely:-
   (i) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(ii) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(iii) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.-** The classification of service, the scale of pay attached thereto and number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-**

(1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by following methods, namely:-

(a) by direct recruitment through competitive examination or by selection or by merit selection or by interview;

(b) by promotion of the members of the service as shown in Schedule-IV;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold such post in a substantive capacity in such service as specified in this behalf by the Government.

(2) The number of the persons to be recruited as under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, after approval of the Government of Chhattisgarh, General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However, Head of the Department should set-up a Selection Committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-

(1) **Age -**

(a) The candidate must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years for the candidate belonging to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (ten) years to the women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

Note - The upper age limit shall not be more than 45 years after giving relaxation from one or more than one reasons in Government Service.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be above the age of 38 (thirty eight) years;

(ii) A candidate holding a temporary post including work charge employees. contingency paid employees and person employed in project implementing committee, applies for any other post should not be more than 38 (thirty eight) years of age;

(iii) A candidate who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary/permanent service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation - The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment for not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen who is enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the condition of enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 2 (two) years for those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of a Superior Caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste-Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo Samman holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of the Home Guards for the period of service rendered so by them, subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years and the instruction issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable.

Note-

(1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in clause (d) (i) and (d) (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the services or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limit shall be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) In respect to upper age limit the directive of Appointing Authority issued from time to time will also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government service shall not exceed 45 (forty five) years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational Qualification.–** The candidate must posses the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fee.** - The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification.–** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for written examination/ selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.–** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed for appearing in the examination for being interviewed.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.–**

(1) Direct recruitment by Competitive Examination - Appointing Authority shall constitute a selection committee comprising of three members:-

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time;

(ii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct recruitment by Selection –**

(i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine.

(ii) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee based on their interview; and

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are member of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, 30% posts shall be reserved for the women candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance with the directions issued by General Administration Department.

12. List of the candidates recommended by the Selection Committee.-

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list of the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determine by the Selection Committee and a list of

candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall be sent to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Appointment by promotion.-

(1) There shall be constituted a committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the Promotion/Selection Committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Promotion/Selection Committee and the number of members of Promotion/Selection Committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion to the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall apply.

(3) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the methods described in sub-rule (2) and instructions issued by the General Administration Department of Government from time to time.

14. Conditions of eligibility for Promotion/Transfer.–

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, had completed not less than such number of years of service as mentioned in column (4) of Schedule-IV on those post (whether officiating or substantive) or any other

post declared equivalent thereto and are within the zone of consideration, in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation – Method of consultation for qualification of promotion – The calculation for period of qualifying service on 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Screening Committee is called, shall be calculated from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining the feeder cadre/part of service/pay scale.

(2) The promotion shall be according to the reservation roaster prescribed in Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rule, 2003.

15. Preparation of the list of suitable candidates.-

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of select list of persons for promotion shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The names of employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation- The person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim of seniority over those persons considered in subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Selection list.-

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of the service from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of the Schedule-IV.

(2) The validity of the selection list shall be one year from the date of that calendar year in which it is prepared:

Provided that, in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Government and if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. Appointments to the service from the select list. –

(1) Appointment of the employees included in the select list shall be made to the post of service cadre according to the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occur any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the State Government, whose decision there on shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that a case shall not be dealt with in any manner which is less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

22. **Repeal and saving.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Deputy Secretary.

SCHEDULE – I
(See Rule 6)

Name of Department-Government Printing and Stationery

S.No.	Name of posts included in the Service.	Number of Post.	Classi-fication.	Pay Band	Grade Pay.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Head Examiner/ Editor.	01	Technical	9300-34800	4200
2.	Overseer/Technical Officer.	04	---do---	9300-34800	4200
3.	Section Holder/ Sub-Technical Officer.	07	---do--	5200-20200	2400
4.	Senior D.T.P. Operator.	01	--do----	9300-34800	4200
5.	D.T.P. Operator.	14	---do--	5200-20200	2800
6.	Colour Scanner Operator.	05	---do--	5200-20200	2800
7.	Multi-colour Printing Operator.	02	---do--	5200-20200	2800
8.	Senior Reader/ Sub-Editor.	04	---do--	5200-20200	2400
9.	Junior Reader.	08	---do--	5200-20200	2400
10.	Reviser.	03	---do---	5200-20200	2400
11.	Cameraman	01	---do---	5200-20200	2400
12.	Assistant Section Holder.	07	---do--	5200-20200	2400
13.	Graphic Art Designer.	01	---do--	5200-20200	2400
14.	Web Offset Operator.	05	---do--	5200-20200	2400
15.	Web Graphic Art Designer	01	---do---	9300-34800	4200
16.	Sub-Engineer Electrical/ Mechanical.	02	---do--	9300-34800	4200
17.	Mechanic.	02	---do--	5200-20200	2400
18.	Mechanic-cum-Electrician	02	---do--	5200-20200	2400
19.	Electrician.	02	--do--	5200-20200	2400
20.	Fast Digital Printer Operator	06	---do---	5200-20200	1900
21.	Single Colour Sheeted Operator.	02	...do--	5200-20200	1900
22.	Assistant Web Offset Operator.	09	..do--	5200-20200	1900
23.	Copy Holder.	07	...do...	5200-20200	1900
24.	Retoucher/Paster/ Tracer.	02	---do--	5200-20200	1900
25.	Senior Plate Maker.	01	...do--	5200-20200	1900
26.	Plate Makcr.	02	---do--	5200-20200	1900
27.	Graining Machine Operator	02	...do...	5200-20200	1900
28.	Senior Single Colour Machine Operator.	08	...do..	5200-20200	1900
29.	Junior Single Colour Machine Operator.	06	...do..	5200-20200	1900
30.	Senior Binder	16	...do...	5200-20200	1900
31.	Junior Binder	32	--do--	5200-20200	1900
32.	Carpenter	01	...do...	5200-20200	1900
33.	Electrical Assistant.	02	...do..	5200-20200	2400
34.	Driver.	06	...do..	5200-20200	1900.

SCHEDULE-II

(See Rule 3)

Name of Department – Government Printing and Stationery

S.No	Name of posts included in the Service.	Number of Post.	Percentage of the Number of Duty Posts to be filled in	
			By Direct Recruitment by selection.	By Promotion Substantive/ Officiative members of service.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Class-III (Non-Ministerial) Printing and Stationery			
1.	Head Examiner/ Editor	01	-	100%
2.	Overseer/ Technical Officer.	04	50%	50%
3.	Section Holder/Sub-Technical Officer	07	25%	75%
4.	Senior D.T.P. Operator.	01	-	100%
5.	D.T.P. Operator.	14	75%	25%
6.	Colour Scanner Operator.	05	100%	-
7.	Multicolour Printing Operator.	02	100%	-
8.	Senior Reader/ Sub-Editor.	04	-	100%
9.	Junior Reader.	08	25%	75%
10.	Reviser.	03	-	100%
11.	Cameraman	01	-	100%
12.	Assistant Section Holder.	07	25%	75%
13.	Graphic Art Designer.	01	100%	-
14.	Web Offset Operator.	05	-	100%
15.	Web Graphic Art Designer.	01	100%	-
16.	Sub-Engineer, Electrical/Mechanical.	02	-	On deputation.
17.	Mechanic.	02	100%	-
18.	Mechanic-cum-Electrician	02	100%	-
19.	Electrician	02	100%	-
20.	Fast Digital Printer Operator.	06	100%	-
21.	Single Colour Sheetfed Operator.	02	100%	-
22.	Assistant Web Offset Operator.	09	-	100%
23.	Copy Holder.	07	50%	50%
24.	Retoucher/Paster/ Tracer	02	100%	-
25.	Senior Plate Maker.	01	-	100%
26.	Plate Maker.	02	50%	50%
27.	Graining Machine Operator.	02	50%	50%
28.	Senior Single Colour Machine Operator.	08	-	100%
29.	Junior Single Colour Machine Operator.	06	25%	75%
30.	Senior Binder	16	-	100%
31.	Junior Binder	32	25%	75%
32.	Carpenter	01	100%	
33.	Electrical Assistant.	02	100%	
34.	Driver.	06	100%	

SCHEDULE-III
(See Rule-9)

Name of Department – Government Printing and Stationery.
CLASS-III – Non Ministerial

S.No.	Name of the Post	Minimum Age	Maximum Age		Procedure of Recruitment.	Qualification	Remarks
			Domicile in Chhattisgarh	Other			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Head Examiner/ Editor.		35 years	30 year	These posts shall be filled by promotion after selection thereof , which is atleast 5 years service in the department on the post of Senior Reader, provided that they have kept qualification mentioned in column (7) Promotion 100%	(1) Should be Graduate. (2) Should be knowledge of Copy fitting, Script editing different types of phases and shapes, to prepare lay-out and demonstration and knowledge of principle of lay-out. (3) 8 year experience of proof reading.	
2.	Overseer/ Technical Officer.	21 years	35 years	30 year.	Section holder, Senior D.T.P. Operator and employees of other category of Press which has been completed the service of 5 year on that post, shall be filled by promotion. Shall be sufficient experience of direct and indirect of two year on the post of supervisory for diploma holder employees in the Printing Technology. Promotion shall be made on the basis of Seniority- cum- Merit. Promotion 50% Direct Recruitment 50%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Diploma Holder in Printing Technology from any recognized institution and direct or indirect 3 year experience to execute the work in different branches of Printing Technology in any Printing Press. (3) Should be knowledge of all branches of Printing as D.T.P. Composing, Processing, Printing.	

3.	Section Holder / Sub-Technical Officer.	21years	35 years	30year	Shall be filled by promotion of Assistant Section holders of which experience of atleast 5 year of work on that post. Shall be sufficient two year experience of the work if any Assistant Section holder has possesses certificate of Printing Technology. In such cases there shall be admissible 3 year experience for promotion on the said post for employees of Press who has possess diploma in Printing Technology. Promotion 25% Direct Recruitment 75%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Diploma Holder in Printing Technology from any recognized institution or 3 year experience of direct or indirect to execute the work in different branches of Printing Technology in any Printing Press. (3) Should be knowledge of all branches of Printing as D.T.P. Composing, Processing, offset Printing and binding. **Or.** (1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) 5 year experience of direct or indirect to execute the work in different branches of Printing Technology in offset Printing Press.	
4.	Senior D.T.P. Operator.	-	-	-	Whose D.T.P. Driver has been completed the service of minimum 5 year on that post, shall be filled by promotion. Promotion 100%	-	

5.	D.T.P. Operator	21 year	35 year	30 year	Such departmental candidates which are completed the qualification as shown column (7). Promotion – 25% Direct Recruitment-75%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Should be efficient in work on Key-board of Hindi and English. (3) Should be efficient of composing 10 page of A-4 size of tabular matter and 20 page of solid running matter in 8 hours (4) Should be efficient of work on Page Maker, Photo-shop, M.S. Word. (5) Experience of 5 year of the work of D.T.P.Operator.	
6.	Colour Scanner Operator.	21 year	35year	30year	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment -100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Diploma in Printing Technology from the any recognized institution and 3 year experience of Head Processing House. (3) Practically experience of 3 year of Colour Separation, Colour Proofing Lay-Out, Planning etc.in any Modern Printing Processing House **Or** (1) Should be passed Higher Secondary Examination.	

						(2) Practically experience of 5 year of Colour Separation, Colour Proofing Lay-Out, Planning etc.in any Modern Printing Processing House.	
7.	Multi-Colour Printing Machine Operator.	21 year	35 year	30 year	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment -100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Diploma in Printing Technology from any recognized institution. (3) 3 year experience of work on different types of Multi colour sheet fed/Web Printing Machine. **Or** (1) Should be passed Higher Secondary Examination. Practically experience of 5 year of work on different types of Multi colour sheet fed/Web Printing Machine in any big Offset Press.	
8.	Senior Reader/ Sub-Editor.	18year	35year	30year	Shall be filled by promotion of Junior Reader and Revisers. Promotion 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Should be knowledge of Hindi as well as English. Should be knowledge of Type Faces and Book Lay-Out. (3) Should be atleast 5 year experience of work on Proof Reader.	

9.	Junior Reader	18 year	35year	30year	Shall be filled by promotion of Copy holders Promotion – 75% Direct Recruitment-25%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Should be complete knowledge of work of proof reader and qualification of proof reading in Hindi and English. (3) Should be knowledge of type Faces and sizes. (4) Should be experience of 3 year of Proof Reader.	
10	Revisor	-	-	-	As above. Promotion – 100%	As above.	
11	Cameraman	-	-	-	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment-100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Diploma in Printing Technology. (3) Should be qualification of maintenance and running the any type process camera (4) Practically experience of exposing and developing of black and white and colour film. Qualification of colour separation from original Art Work. Full knowledge of exposing and transparency (5) Should be the practical experience in the field minimum 3 year. **Or.**	

						(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be the knowledge of different type of Camera Processing in big Processing House. (3) Should be the complete knowledge of expose of Black & White and Colour film and develop. (4) Should be 5 year practical experience of the above works.	
12	Assistant Section Holder	18year	35year	30year	Senior Single Colour Operator, Senior Plate Maker, Senior Binder Retoucher/Paster/Tracer etc. who have experience of 5 year of related section and have completed minimum education upto 8th class. They shall be filled by promotion. Promotion – 75% Direct Recruitment -25%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination or equivalent thereto. (2) Should have passed Printing Technology Course in any Printing Institution and should be experience of 3 year of Supervisor in any Huge Printing Press. **Or** (1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be 5 year experience of Supervisory in any Offset Press. (3) Knowledge of work of different branches are compulsory.	

13	Graphic Art Designer	18year	35year	30year	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment-100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should have degree and diploma in Fine Art (3) Practically knowledge of Coral Draw, Page maker and Photoshop are compulsory. (4) Any huge publishing institution in which different types of multi-colour work, 3 year experience of designing from computer or by hand are compulsorily.	
14	Web Offset Operator.	-	-	-	Such Senior Single Colour Operator, Assistant Web Operators shall be filled by promotion which have completed 5 year service on that post. Promotion – 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be practically experience of 5 year in any huge Press of handling the different type of Web machines.	
15	Web Graphic Art Designer	21year	35year	30year	Post shall be filled by direct recruitment Direct Recruitment-100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should have degree/diploma from any recognized designing institution. (3) Practically knowledge of 3 year of preparing software like Coral Draw, Photoshop, Adobe Acrobat and designing package in any huge publishing institution, advertisement agency etc.	

16	Sub-Engineer, Electrical and Mechanic.	21year	35year	30year	Post shall be filled by deputation.		
17	Mechanic.	-	-	-	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment-100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be diploma holder in Mechanical Engineering from any recognized institution. Should be 3 year experience of repairing any all of printing and binding machines. **Or** (1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be practically experience of 5 year of repairing of printing/ binding machines as mechanic in Printing Press.	
18.	Mechanic-cum-Electrician.	21year	35year	30year	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment- 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be passed in Machinist/Electrical Trade from any recognized institution/I.T.I. (3) Should be 5 year experience of repairing of printing machines as a Mechanic in any printing press.	
19.	Electrician	21year	35year	30year	Post shall be filled by direct recruitment.	(1) Should be passed Higher Secondary Examination	

					Direct Recruitment- 100%	(2) Should be diploma holder in Electrical Engineering from any recognized institution. (3) Should be the experience of maintenance of all printing and binding machines. Should have worthy to keep the A.C. electric house of transmitter. (4) Practically experience of 3 years of any printing press on the post of Electrician.	
20	Single colour sheet Fed Operator.	21year	35year	30year	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment- 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Practically experience of 3 years of handling different types of offset machine relating printing from any modern eminent Press.	
21.	Fast Digital Printer Operator.	21year	35year	30year	Post shall be filled by direct recruitment. Direct Recruitment- 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Practically experience of 3 years of handling different types of digital machine.	
22	Assistant Web Offset Operator.	21year	35year	30year	Such employees shall be filled by promotion which have hold the post of junior single colour machine operator and work experience of 5 years on the respective post and have knowledge of Web Offset Machine. Promotion – 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Practically experience of 3 year of Web offset machine (3) Should be knowledge of chemicals during the period of work in offset machine.	

23	Copy Holder.	21year	35year	30year	Shall be filled by Selection of departmental candidates to be passed Higher Secondary Examination. Promotion – 50% Direct Recruitment-50%	Should be passed Higher Secondary Examination and well knowledge of Hindi and English	
24	Retoucher. /Paster/ Tracer	21year	35year	30year	Post shall be filled by Direct Recruitment. Direct Recruitment- 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be passed in Drawing elementary and intermediate examination. (3) Practically experience of 3 years working of Retoucher/ Tracer/ Paster in any Offset Printing Press.	
25	Senior Plate Maker.	21year	35year	30year	Shall be filled by promotion of Plate Maker which have been completed atleast 5 year service on that post but they have keep the qualification prescribed in column No.(7). Promotion – 100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. Should be efficient of chemicals are using in different types of plates like surface, P.S.Wipe –On, P.S.Plates and making the plates.	
26	Plate Maker	-	-	-	Shall be filled by promotion of 4th Class employees working in Printing Press but they have keep qualification prescribed in column number (7). Promotion – 50% Direct Recruitment – 50%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination Should be efficient of making different types of plates with experience of working in plate making room and knowledge of chemical used in plate making room.	

	Graining Machine Operator	21year	35year	30year	Shall be filled by promotion of IVth Class employees working in Printing Press which have work experience of 5 year and knowledge of handling graining machine but they have keep qualification prescribed in column no.(7).. Promotion – 50% Direct Recruitment- 50%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) 3 year experience of handling of Graining Machine	
[illegible]	Senior Single Colour Machine Operator	21year	35year	30year	Shall be filled by promotion of Junior Single Colour Machine Operator which have experience of 5 year on that post but they have keep qualification mentioned in column no.(7). Promotion – 75% Direct Recruitment- 25%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be knowledge of different types of spare parts and and maintenance of offset machine. Practically knowledge of 5 year handling of offset machine. (4) Should be 3 year experience of making secondary and nursery colour from ink of different type of colours with qualified of multi-colour printing work with accurate registration.	
29	Junior Single Colour Machine Operator.	21year	35year	30year	Shall be filled by promotion of Inker and other lower employees of IVth Class in department. which have experience of 5 year on that post but they have keep qualification mentioned in column no.(7). Promotion – 75% Direct Recruitment-25%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination (2) Should be qualified in handling the different shapes and types of Offset Machine. (3) Practically experience of 3 year.	

30	Senior Binder.	21year	35year	30year	Shall be filled by promotion of Junior binder. Promotion – 100%	(1) Should be passed VIIIth Class. (2) Should be Ist Class binder and practically full experience of all works of binding and manner of binding and gliding Knowledge of accurate shape and margin are compulsory. (3) Practically experience of atleast 5 year of binding.	
31	Junior Binder.	21year	35year	30year	Shall be filled by promotion of Assistant, Paster boy and other IVth Class employee but they have experience of 5 year and have keep qualification mentioned in column no.(7). Promotion – 75% Direct Recruitment- 25%	(1) Should be passed 8th Class. (2) Practically experience of 3 years of all type of binding work.	
32	Car Painter.	21year	35year	30year	Shall be filled by direct recruitment on selection. Direct Recruitment-100%	(1) Should be passed Higher Secondary Examination. (2) Should have certificate of Carpentry trade from I.T.I. (3) Should be knowledge of making furniture to be used of any type of press. **Or** (1) Should be pass 8th Class and practically experience of 5 year carpentry work.	

33	Lineman.	21year	35year	30year	Employee shall be filled by direct recruitment which have keep qualification prescribed in column no.(7). Direct Recruitment-100%	(1) Should have certificate in Electric Engineering Trade from I.T.I. (2) Knowledge of maintenance of all motors and tools of electricity and Armatures coil binding. (3) Qualification of maintenance of Transformer Power House, practically experience of 3 year of said work.	
34	**Driver.**	21year	35year	30year	Direct Recruitment-100%	(1) Should be passed 8th Class. (2) Should have license of Motor Driving.	

SCHEDULE - IV
(See Rule 13)

S.N.	Name of post from which promotion is to be made	Name of post on which promotion is to be made	Work experience on the post prescribed in column (2)	For all posts, name of members of Departmental Promotion Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Senior Reader.	Head Examiner/ Editor.	05 year.	(1) Joint Director, Printing and Stationery. (2) Joint Director/Deputy Director, Government Printing Press. (3) Assistant Director, Government Press (Senior)
2.	(1) Section Holder. (2) Diploma holder employees of other section, which have 5 year experience.	Overseer/ Technical Officer.	05 year	...........do........
3.	Assistant Section Holder.	Section Holder/ Sub-Technical Officer.	05 year	-------do------
4.	D.T.P. Operator.	Senior D.T.P. Operator.	05year	--------do......
5.	Junior Reader/ Reviser	Senior Reader	05year	-------do-----
6.	Copy Holder	Junior Reader /Reviser	05year	--------do-----
7.	1. Senior Single Colour Operator. 2. Senior Plate Maker. 3. Senior Binder. 4. Retoucher/ Paster/ Tracer.	Assistant Section Holder.	05year	------do-----
8.	1. Senior Single Colour Operator. 2. Assistant Web Operator 3. Fast Digital Printer Operator. 4. Single Colour **Sheetfed Operator.**	Web. Offset Operator	05year	------do------
9.	**Single Colour Machine Operator**	**Assistant Web Offset Operator.**	**05year**	**--------do------**

10.	Class-IV employee working in Printing Press.	Copy Holder	05year	----------do-----
11.	Plate Maker	Senior Plate Maker	05year	----------do----
12.	IVth Class employee working in Printing Press	Plate Maker/ Graining Machine Operator.	05year	----------do----
13.	Junior Single Colour Machine Operator.	Senior Single Colour Operator.	05year	----------do------
14.	IVth Class employee in Printing Press.	Junior Single Colour Operator	05year	-----------do------
15.	Junior Binder	Senior Binder	05year	-----------do-----
16.	IVth Class employee in Printing Press.	Junior Binder	05year	------------do----

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 अगस्त 2011

रा.प्र.क्र. 04 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	घुघरीकला प. ह. नं.- 21	0.381	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) उप सम्भाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	कवर्धा-कोठार मार्ग के सकरी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्रमांक 22/अ-82/2003-04.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	घांसीपुर	2.773	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय के माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्रमांक 4063 प्र-1/अ.वि.अ./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुरूर	धनोरा प. ह. नं. 32	0.01	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	धनोरा - खैरवाही मार्ग पर चोरहा नाला पर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्रमांक 4063 प्र-1/अ.वि.अ./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुरूर	खैरवाही प. ह. नं. 20	0.01	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	धनौरा - खैरवाही मार्ग पर चोरहा नाला पर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्रमांक 4063 प्र-1/अ.वि.अ./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	पड़कीभाठ प. ह. नं. 9	0.93	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	पड़कीभाठ-परेगुड़ा मार्ग पर तान्दुला नदी पर पुल निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्रमांक 4063 प्र-1/अ.वि.अ./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	बधमरा प. ह. नं. 7	0.30	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	पड़कीभाठ-पर्रेगुड़ा मार्ग पर तान्दुला नदी पर पुल निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बर्रा प. ह. नं. 3	1.475	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बर्रा जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	पोड़ी प. ह. नं. 29	2.983	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पोड़ी जलाशय अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक 23 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सिवनी प.ह.नं. 50	0.198	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक 24 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	खैरा प.ह.नं. 48	0.236	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक 25 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बनारी प.ह.नं. 51	0.251	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-जरहाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1389/2	0.101
योग	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रघुनाथपुर-असकला मार्ग पर गागर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-कुन्दीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
806/3	0.101
805/3	0.020
805/2	0.040
806/1	0.162
योग	0.323

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुन्दीकला-अमलीघाट मार्ग पर गागर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./17/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुमगराकल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.3[illegible]3 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
26/21	0.028

(1)	(2)
26/25	0.212
26/24	0.128
योग	0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुमगरा-कटकोना मार्ग पर चंदनई सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्रमांक-7 अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ.ग.)
(ख) तहसील-प्रतापपुर
(ग) नगर/ग्राम-गोविन्दपुर, प.ह.नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
517	0.06
514	1.63
511	0.70
503/1	1.09
503/2	0.56
505/2	0.04
1033/2	0.06
1035/2	0.14
506	0.03
1039	0.02
508	0.81
योग 11	5.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धूमाडांड जलाशय के डुबान एवं स्पिल चैनल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/13819/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-डेरागढ़, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-101.128 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.202
1/2	0.202
2/1	0.202
2/2	0.202

(1)	(2)
3	0.364
4/1	0.223
4/2	0.085
4/3	0.097
5/1	0.469
5/2	0.720
5/3	0.247
6	0.081
7	0.081
8	0.121
9/1	0.190
9/2	0.344
9/3	0.202
9/4	0.235
9/5	0.251
10/1	0.061
10/2	0.105
11	0.134
12	0.093
13	0.040
14	0.109
15	0.081
16	0.012
39/1	0.085
39/2	0.121
39/3	0.138
39/4	0.316
39/5	0.368
39/6	0.243
39/7	0.121
39/8	0.093
39/9	0.101
39/10	0.121
39/11	0.129
39/12	0.648
45/1	0.097
45/2	0.093
46/1	0.073
46/2	0.069
47	0.024
48	0.040
49/1	0.061
49/2	0.109
50	0.166
51	0.073
52, 53	0.538
54/1	0.162
54/2	0.162
56/1	0.097
56/2	0.093
56/3	0.093
57	0.283
58/1	0.162
58/2	0.162
59	0.283
60	1.012
61	0.405
62/1	0.142
62/2	0.142
65	0.243
66	0.324
67/1, 305/1	0.235
67/2, 305/2	0.113
67/3, 305/3	0.121
68, 304/1	0.384
69/1	0.142
69/2	0.142
70	0.243
71/1	0.182
71/2	0.182
72	0.061
73/1	0.206
73/2	0.117
73/3	0.259
73/4	0.227
74/1	0.227
74/2	0.971
74/3	0.437
74/4	0.445
74/5	0.453
77/1, 78/3/1	0.154
78/1	0.190
78/2	0.154
78/4	0.190
79/1	0.194
79/2	0.081
80/1	0.077
80/2	0.081
81/1	0.101
81/2	0.202
82/1	0.065
82/3	0.170

(1)	(2)	(1)	(2)
82/4	0.101	223/1	0.024
82/5	0.138	223/3	0.053
82/7	0.081	225/1	0.178
82/8	0.113	226	0.020
83	0.627	227/1	0.057
84	0.162	227/2	0.097
85/1	0.113	227/3	0.040
85/2	0.295	227/4	0.053
85/3	0.085	228/1	0.065
85/4	0.113	228/2	0.032
86/1	0.117	229	0.089
86/2	0.117	230	0.154
87/1	0.053	231/1	0.113
88/1	0.162	231/2	0.085
89	0.061	232	0.093
90/1	0.077	233	0.089
91/2	0.024	234/1	0.053
91/3	0.077	234/2	0.053
92/1	0.036	235	0.138
93/1	0.121	236	0.295
93/2	0.121	237/1	0.134
93/3	0.121	237/2	0.129
94/1	0.117	238/1	0.061
94/2	0.117	238/2	0.138
95/2	0.271	238/3	0.138
95/3	0.202	238/4	0.101
95/4	0.053	239	0.263
96	0.162	240	0.121
97/1	0.162	241	0.295
97/2	0.287	242/1	0.081
98	0.162	242/2	0.134
99/1	0.401	242/3	0.134
100/1	0.178	242/4	0.138
101/1	0.028	243	0.235
102/1	0.016	244	0.231
103/1	0.097	245/1	0.138
103/2	0.162	245/2	0.138
215	0.389	246/1	0.304
216/1	0.219	246/2	0.405
216/2	0.101	247/1	0.085
216/3	0.113	247/2	0.081
219	0.267	247/3	0.081
220/1	0.449	247/4	0.081
220/2	0.121	248/1	0.049
221	0.445	249/1	0.053
222	0.040	250/1	0.138

(1)	(2)	(1)	(2)
251/2	0.020	284	0.097
251/3	0.020	285/1	0.057
251/4	0.008	285/2	0.364
252/1	0.057	285/3	0.040
252/2	0.057	286/1	0.049
252/3	0.032	286/2	0.235
253/1	0.020	287/1	0.101
254	0.121	287/2	0.121
255	0.210	288/1	0.057
256	0.049	288/2	0.057
257	0.040	289	0.198
258/1	0.069	290/1	0.016
258/2	0.069	290/2	0.093
258/3	0.142	290/3	0.028
259	0.081	290/4	0.020
260/1	0.085	290/5	0.024
260/2	0.085	291	0.077
262, 263	0.125	292/1	0.049
264/1	0.109	292/2	0.040
264/2	0.101	293	0.036
264/3	0.069	294	0.239
264/4	0.057	295/1	0.040
265	0.178	295/2	0.040
266/1	0.174	296/1	0.117
267/1	0.182	296/2	0.117
268/1	0.053	297/1	0.081
268/2	0.129	297/2	0.081
269/1	0.085	298	0.389
271/1	0.040	299	0.134
272	0.028	300	0.134
273	0.170	301/1	0.125
274/1	0.336	301/2	0.247
274/2	0.344	301/3	0.121
274/3	0.336	302	0.393
274/4, 274/5	0.340	303/1	0.162
275/1	0.134	303/2	0.162
275/2	0.324	304/2	0.138
276, 277	0.162	306/1	0.097
278	0.109	306/2	0.097
279	0.109	307	0.065
280/1	0.057	308	0.065
280/2	0.057	309/1	0.069
281	0.190	309/2	0.065
282/1	0.040	310	0.146
282/2	0.040	311	0.219
283	0.097	312/1	0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
312/2	0.142	342/1	0.040
313	0.045	342/2	0.020
314/1	0.061	342/3, 342/4	0.085
314/2	0.065	342/5	0.024
315	0.166	343/1	0.182
316/1	0.081	343/2	0.049
316/2	0.081	343/3	0.049
317	0.024	344/1	0.223
318/1	0.121	344/2	0.121
318/2	0.146	345	0.089
318/3	0.121	346	0.057
319/1	0.142	347	0.089
319/2	0.174	348/1	0.053
320/1	0.097	348/2	0.053
320/2	0.401	349	0.158
320/3	0.129	350	0.008
321/1	0.202	351	0.036
323	0.283	352	0.040
324/1	0.275	353	0.077
324/2	0.146	354	0.053
325/1	0.243	355	0.032
325/2	0.202	356	0.032
326	0.182	357	0.032
327/1	0.150	358/1	0.040
327/2	0.150	358/2	0.081
328	0.283	358/3	0.040
329	0.057	359	0.101
330	0.202	360	0.162
331/1	0.028	361	0.890
331/2	0.028	362	0.081
333	0.109	363/1	0.045
334/1	0.040	363/2	0.045
334/2	0.239	363/3	0.032
334/3	0.239	364/1	0.174
335/1	0.061	364/2	0.202
335/2	0.057	364/3	0.134
336/1	0.101	364/4	0.081
337	0.263	364/5	0.081
338/1	0.101	365	0.259
338/2	0.101	366	0.081
339/1	0.121	367	0.283
339/2	0.125	368/1	0.101
339/3	0.121	368/2	0.065
340/1	0.142	369/1	0.117
340/2	0.142	369/2	0.117
341	0.073	370	0.429

(1)	(2)
371	0.328
372	0.040
373	0.061
374	0.061
375	0.073
376/1	0.445
376/2	0.320
377	0.097
378	0.081
379	0.186
380	0.008
381/1, 382/1	0.065
381/2, 382/2	0.065
383	0.150
385/1	0.174
385/2	0.170
386/1	0.101
386/2	0.105
386/3	0.097
387/1	0.162
387/2	0.081
388	0.429
389	0.202
390/1	0.190
390/2	0.040
391/1	0.053
391/2	0.057
392	0.150
393/1	0.040
393/2	0.040
394	0.061
395	0.097
396/1	0.065
396/2	0.065
396/3	0.065
396/4	0.069
397	0.154
398/1	0.097
398/2	0.360
398/3	0.049
398/4	0.045
399/1	0.093
399/2	0.210
400	0.469
401	0.142
402/1	0.065

(1)	(2)
402/2	0.065
402/3	0.065
402/4	0.065
403/1	0.097
403/2	0.097
404/1	0.134
404/2, 406	0.089
404/3	0.081
404/4	0.089
404/5	0.134
407, 408/2	0.117
408/1	0.117
409/1	0.040
409/2	0.040
409/3	0.040
410	0.125
411/1, 412/1	0.336
411/2, 412/2	0.162
413	0.142
414	0.125
415	0.125
416/1, 417/1	0.101
416/2, 417/2	0.020
418, 419	0.085
420	0.069
421, 424	0.069
422, 423, 425/2	0.061
422, 423, 425/1	0.057
426, 428, 429	0.134
427 430/1 430/2 431 } 1	0.069
427 430/1 430/2 431 } 2	0.069
432/2, 433/2	0.190
432/3, 433/3	0.259
519/1	0.040
519/2	0.085
519/3	0.045
519/4	0.040
519/5	0.036
544/1	0.502
544/2	0.364

(1)	(2)	(1)	(2)
545	0.105	584/3	0.109
546/1	0.093	585	0.308
546/2	0.081	586	0.129
546/3	0.178	587	0.397
547	0.121	588	0.093
548	0.182	589	0.259
549	0.571	590	0.040
553	0.158	591/1	0.231
554/1	0.142	591/2	0.065
554/2	0.514	591/3	0.162
555	0.186	592	0.097
556	0.121	593	0.081
557	0.081	594, 596	0.259
558	0.502	595	0.324
559, 560	0.389	597/1	0.178
561, 562	0.271	597/2	0.182
563	0.283	598/1, 599/1	0.797
564/1	0.186	600, 623	0.255
564/2	0.190	601/1	0.170
565/2	0.125	601/2	0.109
566	0.146	602/1	0.340
567	0.271	603	0.162
568/1	0.125	604	0.081
568/2	0.214	605	0.012
569/1	0.154	606	0.170
569/2	0.077	607/1	0.085
570/1	0.441	607/2	0.093
571/1	0.138	608/1	0.081
572/1	0.340	609, 612/1	0.061
573/1	0.138	609, 612/2	0.223
573/2	0.219	609, 612/3	0.174
573/3	0.138	610	0.129
574/1	0.101	611/1	0.384
574/2	0.105	611/2	0.121
574/3	0.101	611/3	0.401
574/4	0.101	613/1	0.170
575	0.053	613/2	0.170
576	0.032	614/1	0.028
577	0.166	615	0.121
578, 579	0.753	616/1	0.045
580	0.223	616/2	0.085
581	0.223	617	0.081
582	0.202	618	0.154
583	0.162	619/1	0.162
584/1	0.069	619/2	0.113
584/2	0.223	619/3	0.563

(1)	(2)
620	0.267
621/1	0.154
621/2	0.154
622/2, 624/2	0.077
622/1, 624/1	0.077
622/3, 624/3	0.077
622/4	0.049
625/1, 626/1	0.016
625/2, 626/2, 658/1	0.623
625/3, 626/3	0.299
625/4, 626/4	0.291
627	0.093
628	0.162
629	0.154
630	0.049
631	0.142
632/1	0.138
632/2	0.142
633	0.138
634/1	0.308
634/2	0.162
634/3	0.206
635/1	0.279
635/2	0.146
636/1	0.012
636/2	0.024
637/1	0.032
637/2	0.093
637/3	0.032
637/4	0.032
638	0.057
639	0.057
640/1	0.109
640/2	0.162
640/3	0.040
640/4	0.040
641	0.142
642, 645/1	0.214
642, 645/2	0.214
647	0.008
648/1	0.093
648/2	0.263
648/3	0.085
648/4	0.085
649/1	0.482
649/2	0.482
650/1	0.040
650/2	0.081
651/1	0.214
651/2	0.405
652	0.121
653	0.643
654/1	0.081
654/2	0.158
654/3	0.081
655	0.101
656	0.061
657/1	0.089
657/2	0.089
658/2	0.089
659	0.129
660	0.097
661/1	0.162
661/2	0.158
662, 665	0.239
663	0.081
664/1	0.134
664/2	0.036
666	0.008
712	0.615
713/1	0.121
713/2	0.263
777	0.287
778	0.206
779/1	0.129
779/2	0.053
779/3	0.178
779/4	0.121
779/5	0.057
780/1	0.125
780/2	0.121
781	0.198
782	0.469
783	0.061
784/1	0.053
784/2	0.049
785/1	0.121
785/2	0.113
785/3	0.223
785/4	0.069
786/1	.166
786/2	0.166
786/3	0.336

(1)	(2)
787	0.198
789/1	0.567
790	0.308
791	0.121
792/1	0.125
792/2	0.129
793/1	0.190
793/2	0.146
838	1.000
योग 652	101.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-आलवाही, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
235	0.08
237	0.08
249	0.02
250	0.03
256	0.21
236	0.03
242	0.05
243	0.01
244/2	0.08
248	0.03
254	0.05
257	0.12
योग 12	0.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-धोटिया-भैंसगांव मार्ग के कि.मी. 1/6 पर नारंगी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 03 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगपुर, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.490 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70/1	0.490
योग	0.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छपरी से सरोधा सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/3080.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री डी. एस. पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति नगरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-धमतरी के आदेश क्रमांक/5564/वि.लि. 1/2011 धमतरी, दिनांक 15-07-2011 द्वारा श्री डी. एस. पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी का स्थानांतरण उप संचालक कार्यालय धमतरी हो जाने के परिणामस्वरूप वे भारमुक्त हो चुके हैं. अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, डी. एस. पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के स्थान पर श्री वाय. के. बागड़े, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी को, आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उपज मण्डी समिति नगरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश श्री बागड़े के प्रभार लेने की तिथि से प्रभावशील होगा.

सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th August 2011

No. 468/Confdl./2011/II-3-14/2000.—On the basis of application dated 06-05-2011 of Ku. Garima Arya, V Civil Judge Class-I, Raipur, she is hereby, permitted to change her name as "Smt. Garima Sharma" in place of "Ku. Garima Arya". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.